उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1997)

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1997

[U.P. Act No. 21 of 1997]

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1997]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 30, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 04, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 04, 2003

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 2004

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 03, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 27, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2009

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 2014

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 39, 2021

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1997 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में मोटर यानों पर कर का आरोपण करने और किराये के लिये यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटर यानों पर अतिरिक्त कर का आरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में, :––

[2][(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है ;]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अन्त में देखे ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है ;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र से है कि मोटर यान को मोटर यान अधिनियम, 1988, या मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है ;

(घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटर यान से है जो माल ढोने के लिए पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटर यान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो पर जब वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ–साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में माल ढोने के लिए प्राधिकृत हो ।

[1][(घ–1) "ग्रीन टैक्स" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिरोपित कर से है ।]

(ड़) "परिसीमित मात्रा का भार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट करे ;

(च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान से है जो मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन 5 फरवनी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो ;

(छ) किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण–पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा कोई परमिट या प्राधिकार प्रमाण–पत्र न हो, वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज हो, और जहाँ परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हों, और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है ;

(ज) किसी मोटर यान के सम्बन्ध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज हो और जहाँ ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है ;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2014 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

यान से संशक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है ।

[1][(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य किसी कैंलेण्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैंलेण्डर मास की अवधि से है ;]

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय ;

[2][(ट–1) "विशेष कर" का तात्पर्य धारा 4–क के अधीन अधिरोपित कर से है ;]

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है ;

(ड) "कराधार अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाय ;

(ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है ;

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये है ।

छूट देने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय [3][मोटर यानो] के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है : ––

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से ।

(2) [4][X X X]

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी ।

कर का आरोपण

4–(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में लागू दर पर एक बार देय कर का, [5][जैसा कि राज्य सराकर द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये], भुगतान न कर दिया गया हो :

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 2 (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 3 (ख) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।

1[परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय भुगतान किया जा सकता है :]

2[परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने के दिनांक से परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीयन की वैधता समाप्त होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर ग्रीन टैक्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, का भुगतान न कर दिया गया हो।]

3[(1—क) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी तीन पहिया मोटर टैक्सी और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक वार देय कर की ऐसी धनराशि जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।]

4[(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1—क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर टैक्सी (तीन पहियां मोटर टैक्सी से भिन्न), बड़ी टैक्सी और राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा वाले वाहनों का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नही किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में लागू दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, देय हो सकता है ;]

5[(2—क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1—क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी दर पर मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, भुगतान न कर दिया गया हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (क) (दो) परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2014 की धारा 3 परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, देय हो सकता है ।

(2–ख) जहां सड़क द्वारा ले जायें वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1–ख) या धारा 2 के अधीन कर का उद्ग्रहण उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुये भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार होगा :

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत कर उस कर से अधिक नही होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता।

[(3) जहां किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाये, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगा।][1]

(4) [2][X X X]

कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उद्ग्रहण

[3]**[4–क**–इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जायें, को ले जाने के लिये जारी अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तर प्रदेश में प्रचालन धारा 4 के अधीन कर के साथ–साथ तब तक नही किया जायेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नही कर दिया जाता है ।]

5–[4] [X X X X]

[5]**[6**–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक सेवा यान का प्रचालन तब तक नही किया जायेगा जब तक धारा 4 के अधीन संदेय कर के साथ–साथ तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान नही कर दिया जाता है।]

7–[6] [X X X X]

दुर्घटना राहत निधि

8–[7][(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 4 (ङ) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 6 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 4 के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जाम की जायेगी ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय ।

कर और शास्ति का भुगतान

9–(1) धारा 11 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ––

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा :

परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बअन मे ंकर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवे दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा ;

[1][(दो) धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा ।

(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा ।]

[2][(चार) [3][(क) धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा ।]

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में [4][धारा 4–क के अधीन देय विशेष कर] का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायगा ।]

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान की किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस सम्बन्ध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटर यान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटर यान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 10(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 10(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 10(ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।

बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटर यान का स्वामी था ।

(3) जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त [1][देय धनराशि से अनधिक] ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देनदार होंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रूपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

कर का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में यानों का उपयोग नहीं किया जायेगा

10–[2][(1) धारा 9 में किसी बात होते हुए भी, ––

[3][(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बनध मे धारा 4 के अधीन उत्तर प्रदेश में इसके उपयोग और ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो।]

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में [4][धारा 4 के अधीन कर] का, जिसकी गणना [4][राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर] से की जायेगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो ।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर वैहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1973 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में [5][धारा 4 के अधीन कर] कर का भुगतान विहित रीति से [5][राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट] दर से न कर दिया गया हो ;

[6][X X X]

(2) [7][X X X]

(3) यदि ऐसा परिवहन यान इस अधिनियम के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2001 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(क)(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(क)(चार) परन्तुक द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(ख) द्वारा निकाला गया ।

का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में चलता हुआ पाया जाय, तो ऐसा कर या अतिरिक्त कर शास्ति के साथ जो [1][देय कर के पांच गुने के बराबर] होगा, देय होगा :

[2][परन्तु यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के आधार पर दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से संचालित मोटर टैक्सियों के सम्बन्ध में [3][इस धारा के अधीन कर संदेय नही होगा :]

[4][परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के साथ या उनके मध्य हुये करार के अनुसार दिये गये परमिट के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर टैक्सी (सी0एन0जी0 संचालित) के सम्बन्ध में कर संदेय नही होगा।]

[5][परन्तु यह भी कि जहाँ यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हों, वहाँ इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।]

प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि

[6]**[11**–इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर माह के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा ।]

यान का अनुपयोग और कर का वापस करना

12–(1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटर यान का जिसके सम्बन में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के प्रत्येक [7][तीस दिन] के लिए, जिसके लिए भुगतान किया गया हो, देय [8][यथास्थिति तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें भाग] के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नही होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अभ्यर्पित न कर दे :

[9][परन्तु अग्रतर यह कि जहां धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर भुगतान कर दिया गया है वहां ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 1/120 के समतुल्य धनराशि वापस की जायगी ।]

(2) जहां किसी मोटर यान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2007 की धारा 2 परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 11(ङ) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 39, 2021 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1999 की धारा 13(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(क)(दो) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।

यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटर यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के लिए जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा रू

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथाउल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक [1][कर और अतिरिक्त कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा]।

(3) जहां [2][मोटरयान] जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो का स्वामी कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिए [2][ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।] :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नही होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और टोकन, यदि कोई हो, स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा ।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी [3][राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट] दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटर यान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटर यान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक मास या

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(ख) परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलैण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो ;

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी व्यक्ति ने काराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और टोकन, यदि कोई हो उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया जाय, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक जो उपधारा (1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, [1][धारा 6 के अधीन] भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो उक्त अवधि के लिए आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धान्तों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है ।

यान की उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

13–(1) प्रत्येक मोटर यान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा ।

(2) जहां किसी मोटर यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा ।

कर में अन्तर का भुगतान

14–जहां किसी ऐसे मोटर यान में जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊँची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहाँ उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात् संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मे कर की भुगतान का अभिलेखन और [2]प्रमाण–पत्र, का दिया जाना

15–(1) कराधान अधिकारी मोटर यान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में [3][प्रमाण–पत्र] भी जारी करेगा ।

(2) कराधान अधिकारी इस निमित्त विहित प्रमाण–पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, [4][धारा 6 के अधीन] अतिरिक्त कर का भुगतान अभिलिखित करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 13(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 14(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति

16–कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटर यान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

समय–सारणी का दिया जाना

17–(1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपने मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में किये गये एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायगी।

अपील

18–(1) [1][धारा 4, धारा 6 एवं धारा 12 के अधीन] कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

अपराधों का दण्ड

19–जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ;

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रूपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

कर की वसूली

20–(1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू–राजस्व के बकायी की भांती वसूलीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटर यान जिसमें उसके उप साधन भी है, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा।

[2][(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और अतिरिक्त कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया ।

साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत्त करने की शक्ति

21–अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है : ––

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना ;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना ; और

(ग) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना ।

कर का भुगतान न करने की दशा में परिवहन यान को निरुद्ध करना

22–(1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी [1][मोटर यान] का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह परिवहन यान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह [1][मोटर यान] की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक समझे और विशेष रूप से, वह ऐसे परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है ;

परन्तु यान की अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी [1][मोटर यान] को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा ।

[2][(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिसका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरोध के दिनांक से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन न कर दिया जाय, वहां परिवहन आयुक्त, किसी अन्य ऐसी कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करवा सकता है ।]

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

23–इस अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण मे किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी विहित सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

अपराधों का शमन

24–(1) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2001 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा ।

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन ––

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा ;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरूद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अपराध का संज्ञान

25–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर के सिवाय नहीं करेगा ।

कम्पनियां द्वारा अपराध

26–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

27–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

28–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात् ––

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना ;

(ख) किसी प्रमाण–पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटर यान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना ;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण–पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना ;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके, अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के सम्बन्ध में या उससे आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना ;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उनकी वसूली की रीति को विनियमित करना ;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके ;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना ;

(झ) धारा 17 के अधीन समय–सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना ;

(ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है ;

(ट) वह रीति विहित करना जिससे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग किया जायगा ;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1947 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नही थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

30–(1) संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 एतव् द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नही पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

[1][x x x x]

[1][x x x x]

[1][x x x x]

[1][x x x x]

[1][x x x x]

[1][x x x x]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2009 की धारा 18 द्वारा सभी अनुसूचियाँ निकाली गयी।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 क्रमशः मार्ग–कर, यात्री–कर और माल–कर के उदग्रहण की व्यवस्था करते है । डा० चैलव्या की अध्यक्षता में 1980 में गठित उत्तर प्रदेश कराधान जांच कमेटी और डा० पपोला की अध्यक्षता में 1984 में गठित उत्तर प्रदेश कराधान रिव्यू कमेटी ने संस्तुति की थी कि मोटर यानों पर समस्त करों को एक अधिनियम में समेकित किया जाय और यात्री–कर और माल–कर के स्थान पर मोटर यानों पर अतिरिक्त कर के उदग्रहण की व्यवस्था की जाय । उक्त कमेटियों की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त एक विधेयक तैयार किया गया था और उसे तत्कालीन मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मंत्रि–परिषद् ने उक्त विधेयक को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के लिये निर्दिष्ट कर दिया । इस कमेटी ने परिवहन यानों से भिन्न मोटर यानों के सम्बध में 24 जनवरी, 1992 से प्रवृत्त एक बार देय कर की दर और अन्य मोटर यानों पर मार्ग की दर में वृद्धि किये जाने, मालवाहन के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर के उदग्रहण किये जाने और मैदानी क्षेत्रों में उच्चतर लोड फैक्टर के आधार पर अतिरिक्त कर का संग्रहण किये जाने के लिये कतिपय संस्तुतियां की।

उपर्युक्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि मोटर यानों पर समस्त करों के उदग्रहण और संग्रहण के लिये एक संहत विधि बनाकर मोटर यानों पर करों को सुव्यवस्थित किया जाय, उसके प्रशासन को सरल और कारगर बनाया जाय और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना की जाय ताकि ऐसे यात्रियों और अन्य व्यक्तियों को, जो किसी दुर्घटना, जिसमें कोई सार्वजनिक सेवा यान अन्तर्ग्रस्त हो, हताहत हुए हों, राहत दी जा सके ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पुरःस्थापित किया जाता है ।